"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024—पौष 6, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009), संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा विशेष सचिव, स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन केवल विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

2. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, समग्र शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, विमानन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, लोक शिक्षण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद तथा मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पद पर पदस्थ करता है.

श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. श्री राजेंद्र कुमार कटारा, भा.प्र.से. (2013), संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन, मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ करता है.

श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कंट्रोलर आफ माईन्स, भारतीय खान ब्यूरों, नागपुर के परिपत्र क्रमांक N-11013/3/MP/90/CCOM Vol-VII, (2/2010), दिनांक 06-04-2010 के पैरा-02 के बिन्दु क्रमांक-02 के तारतम्य में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कालम नंबर-(2) में दर्शित एजेंसी

को कालम नंबर-(4) में दर्शित खनिज से संबंधित खनिज रियायतों के लिए अधिमान्यता प्रदान करता है :—

क्र.	एजेंसी का नाम एवं पता	नवकरण/नवीन अधिमान्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स सिन्हा मायनिंग कंसल्टेंसी, ऑफिस नंबर-9 डी कोस्टा कमर्सियल अपार्टमेंट, पुराना रेल्वे स्टेशन गेट, मालट्ठ, मार्गो, गोवा-403601	नवकरण हेतु	राज्य में खनिज कोयला को छोड़कर शेष खनिजों के खनिज रियायतों के डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य हेतु.
2.	मेसर्स सिद्धार्थ जियो कंसल्टेंस, 621/3, प्रथम तल, रामकुण्ड, समता कालोनी, लाईफवर्थ हॉस्पिटल के पीछे, रायपुर		
3.	मेसर्स क्लासिक इण्डिया, 59, उदय नगर, एनआईटी गार्डन के पास नागपुर, महाराष्ट्र, 440024	नवीन अधिमान्यता	

2. उक्त अधिमान्यता प्राप्त एजेंसियों के लिये निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की जाती हैं :—

1. Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar);

2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;

3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;

4. The pillar shall be of square pyramid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;

5. Each pillars shall be of reinforced cement concrete;

6. The corner pillar shall have a base of 0.30m X 0.30m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

7. The intermediate pillars shall have a base of 0.25m X 0.25m and hight of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;

8. All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be ground with cement concrete;

9. On all corner pillars, distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;

10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

11. The number of pillar shall be the number of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees;

13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Controllar General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and

15. In case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.

16. The Survey Agency shall be responsible for he accuracy of the data collected during Survey.

17. Co-ordinates of boundry pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.

18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त एजेंसी एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

19. डी.जी.पी.एस., सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त एजेंसी को करना होगा.

21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

22. यह अधिमान्यता अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील जैन, विशेष सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 1-3/2024/(6)52.—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ कार्यालय ग्रामोद्योग संचालनालय, हाथकरघा प्रभाग के पद संरचना अंतर्गत छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में प्रतिनियुक्ति हेतु संयुक्त संचालक के 01 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 एवं उप संचालक के 01 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में सृजित किया जाता है.

2. उक्त पद सृजन की सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2024-48-00157, दिनांक 15-10-2024 द्वारा दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur

Nava Raipur, Atal Nagar the 30th August 2024

F. No. 2246/2894/XXI-B/C.G./2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1107/II-15-2/2005(Pt.IV)/Confdl./2024, Bilaspur, dated 28-8-2024, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assumes charge of their office, namely :—

S. No.	Name of Judicial Officer with present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Ku. Saroj Nand Das, I District and Additional Sessions Judge, Balod	Judge, Family Court, Baloda-Bazar
2.	Shri Sanjeev Kumar Tamak, Special Judge under S.C./S.T. (P.A.) Act, Durg	Judge, Family Court, Manendragarh

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary.

Nava Raipur, Atal Nagar the 14th October 2024

F. No. 3704/3463/XXI-B/C.G./2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1270/II-15-2/2005(Pt.IV)/Confdl./2024, Bilaspur, dated 7th October 2024, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of his office, namely :—

S. No.	Name of Judicial Officer with present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Harish Kumar Awasthi, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur	Judge Family Court, Dantewara

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHABUDDIN QURESHI, Additional Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्रमांक/12882/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	कटोरी नगोई	2.219 हेक्टेयर	कटोरी नगोई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण के पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-09-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, कटोरी नगोई में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटोरी नगोई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण के पूरक भू-अर्जन हेतु अर्जित होने पर.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 395.51 लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कटोरी नगोई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 9 दिसम्बर 2024

क्रमांक 436/अ-82/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	भोथिया	हरदी प.ह.नं. 03	0.558	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर.	मोंहदीखुर्द - हरदी (गाड़ाघाट) मार्ग पर बोराई नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

प्र. क्रमांक 202302042100052/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491/1	0.081
491/4	0.069
122/2	0.010
491/2	0.053

	(1)	(2)
	449/2	0.010
	122/6	0.010
	491/3	0.014
	330/2	0.028
योग	08	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माईनर–1 एवं धनगांव सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

प्र. क्रमांक 202302042100053/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम–पुटकापुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.093 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	273/1	0.004
	445/31	0.073
	445/4	0.016
योग	03	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत पुटकापुरी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

प्र. क्रमांक 202302042100086/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम–सिंहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.236 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
348/9	0.020
506/2	0.056
510/1	0.036
494/7	0.032
500/1	0.064
461/6	0.020
499/4	0.028
348/7	0.100
505/1	0.072
594/3	0.060
510/7	0.056
461/1	0.020
462/1	0.056
463/6	0.064
167/1क	0.112
494/4	0.020
494/6	0.032
463/3	0.040
498/2	0.020
463/4	0.032
506/1	0.020
494/5	0.128
510/9	0.032

	(1)	(2)
	501/2	0.056
	499/1	0.040
	498/1	0.020
योग	26	1.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत जिलाडी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 19 नवम्बर 2024

प्ररूप–7

क्रमांक 2979.—छ.ग.भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक–20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

क्र.	जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मंडल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खैरझिटी	18	मुढीपार	सम्पूर्ण ग्राम	—

संजय अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक 1456/1.—छ.ग.भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ की घोषणा करता/करती हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसे संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मंडल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	अभनपुर	खोरपा	07	परसुलीडीह	सम्पूर्ण ग्राम	—

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक 1457/1.—छ.ग.भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ की घोषणा करता/करती हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसे संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मंडल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	अभनपुर	केन्द्री	13	परसट्ठी	सम्पूर्ण ग्राम	—

गौरव सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2024

No. 1255/Confdl./2024/II-3-14/2000(Part-IV).—On the application of Ku. Kaminee Verma, Civil Judge Junior Division, Bagicha, District-Jashpur, she is hereby, permitted to prefix the title "Smt." before her name on account of her marriage. It is directed that in all her records, her name be changed as "Smt. Kaminee Verma" in place of "Ku. Kaminee Verma" and the name of her husband "Dr. Vajas Verma" be incorporated in place of her father's name in all her service records.

Bilaspur, the 7th October 2024

No. 1264/Confdl./2024/II-2-90/2001(Part-IV).—(A) Smt. Neeru Singh, Member of Higher Judicial Service and presently posted as X District and Additional Sessions Judge, Raipur is appointed as Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date she assumes charge of her office.

(B) Shri Rahul Sharma, Member of Lower Judicial Service and presently posted as II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Katghora is appointed as Deputy Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 7th October 2024

No. 1266/Confdl./2024/II-3-1/2024.—The following Civil Judges Senior Division, as specified in Column no. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sumit Kumar Harsyana, Deputy Director Chhattisgarh State Judicial Academy.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Civil Judge Senior Division
2.	Shri Lokesh Patle, Administrative Officer, Chhattisgarh State Judicial Academy	Bilaspur	Katghora	Korba	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division.

Bilaspur, the 7th October 2024

No. 1268/Confdl./2024/II-2-1/2024.—The Judicial Officers presiding over the Court, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in addition to his/her own duties, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge of the Court of (3)
1.	III District and Additional Sessions Judge Korba	District and Additional Sessions Judge (F.T.C.) Korba
2.	III District and Additional Sessions Judge Janjgir	District and Additional Sessions Judge (F.T.C.) Janjgir

By order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2024

क्रमांक 409/दो-2-22/2015.—श्री शक्ति सिंह राजपूत, तत्कालीन रजिस्ट्रार (कम्पयूटराईजेशन)-कम-सी.पी.सी., उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) वर्तमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-09-2024 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट अधिकारी.